

कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट
फोन नं.-07632 240334 ई मेल-gm_bgtpiul@rediffmail.com

पत्र क्र. 2827 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2023
 प्रति,

बालाघाट दिनांक 20/12/2023

वनमंडलाधिकारी
 दक्षिण (सा.) वनमंडल
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

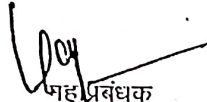
विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत किमी. 45 ऑफ टी-02 से कट्टीपारकला तक मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155398/2022)

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्र. एफ-5/1262/2023/10-11/4218 भोपाल दिनांक 20.09.23
 2. आपका पत्र पृ. क्र./मा.चि./6387 दिनांक 30.11.2023

.....00.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्र. 2 में दिये गये निर्देशों के तहत 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

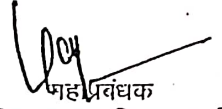
क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रूप में उल्लेखित नहीं है। परन्तु उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2	The total area of various proposals is more than 40.00 ha. in the same division and with same User Agency. the SIR of CF/CCF for the same shall be submitted.	प्रकरण में निरीक्षण कर ही योजना प्रस्तावित की गई है।
3	The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation.	कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0031/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (छोटे झाड़ का जंगल व घास) ग्राम- बकेरा, प.ह.न. 13, तह. वारासिवनी, जिला बालाघाट के खसरा नं. 2/1, 73 में रकबा 16.938 हे0 (02 प्रस्तावों के लिए समेकित 1. FP/MP/Road/155398/2022 रकबा 6.705 हे0 2. FP/MP/Road/156162/2022 रकबा 1.275 हे0) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना दो प्रस्तावों के लिये एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त दो प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक-पृथक प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
4	The CA site needs to be changed. DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas.	प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है।
5	The proposed road is falling in Tadoba-Indravati Tiger Corridor. comments of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित सड़क, टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तर्गत नहीं आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नहीं गुजरता है। अर्थात् CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।


 महाप्रबंधक
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृ. क्र. 2828/तक/मप्रग्रासविप्रा/2023
प्रतिलिपी:-

बालाघाट, दिनांक 20/12/2023

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।



म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
उपस्थिति योजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट